न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–26/2013–14

योगेन्द्र पासवान **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
2.6.18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद योगेन्द्र पासवान, पिता ब्रहमदेव पासवान, ग्राम–बलियावान, थाना–नौबतपुर, प्रखण्ड–नौबतपुर, पटना जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अनुज्ञप्ति सं0 54/07 (रद्द) द्वारा C.W.J.C 9955/15 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 12.04.2017 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 23.12.2017 को दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है :– "Accordingly the order dated 12.05.2014 is set aside and matter is remanded back to pass a reasoned order giving his own reason for arriving to a finding either in favour of the petitioner or against the petitioner, not merely recording the case of both sides. Petitioner is at liberty to file supplementary memo of appeal in support of his case. This Court is not giving any opinion on the merit of the case. With the aforesaid observation and direction this Writ petition is disposed of." माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ई0सी0 अपील वाद सं0 26/2013–14 को पुनर्जीवित किया गया। अपीलकर्ता को नोटिस निर्गत करते हुए 06.04.2018 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 1050(आ0) दिनांक 31.10.2011 द्वारा अपीलकर्ता की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं0 54/2007 को रद्द किया गया। अपीलकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0 23261/2011 दायर किया गया, जिसे दिनांक 27.06.2013 को पारित आदेश द्वारा निष्पादित करते हुए अपीलकर्ता को समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करने का निदेश दिया गया। साथ ही उक्त अपील को चार माह के अंदर निष्पादित करने का निदेश समाहर्ता को दिया गया। पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2014 द्वारा अपील आवेदन को खारिज किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के उपर वर्णित आदेश दिनांक 12.04.2017 द्वारा Set aside करते हुए नए सिरे से सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। दिनांक 19.05.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।	

अपीलकर्ता का कथन है कि दिनांक 05.04.2011 को अपराहन 12.20 बजे जब प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा उनकी जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया गया। उस समय अपीलकर्ता (दुकानदार) अपनी बीमार पत्नी को डाक्टर को दिखाने के लिए गये थे। इसकी सूचना उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लिख दिया था। उनका कथन है कि उनसे कारण पृच्छा की गयी। परन्तु जांच प्रतिवेदन की प्रति अपीलकर्ता को नहीं दी गयी। उन्होंने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि जिन लोगों ने उनके विरूद्ध शिकायत की थी, वे उनके उपभोक्ता नहीं है। वे अनुसूचित जाति के हैं एवं स्थानीय प्रतिद्वन्दियों के मेल में आकर उनके विरूद्ध परिवाद दायर किया गया है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के पत्र सं0 4036 दिनांक 26.09.1994 का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति के लोगों के जन वितरण प्रणाली की दुकान को निरस्त न किया जाय। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि दिनांक 05.04.2011 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा निरीक्षण के दौरान अपीलकर्ता की दुकान बंद पायी गयी। निरीक्षण के क्रम में विक्रेता (अपीलकर्ता) द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नियमानुसार इसकी अनुमति ली जानी चाहिए। उपभोक्ताओं द्वारा समय पर राशन आपूर्ति नहीं करने की शिकायत की गयी। अपीलकर्ता द्वारा अपने कारण–पृच्छा में शिकायत के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये परिवाद पत्र के संदर्भ में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर ने भी जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया कि लगातार चार माह जून–2011 से सितम्बर, 2011 तक अनुदानित खाद्यान्न के आवंटन के विरूद्ध राशि जमा नहीं की गयी एवं माह अप्रैल, 2011 से मई–2011 के अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्डधारियों को खाद्यान्न न देकर उसकी कालाबाजारी की गई। अनियमित रूप से किरासन तेल वितरित करने के बारे में भी प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त प्रतिवेदित अनियमितताओं की प्रमाणिकता के आधार पर अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का आदेश एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध अप्रैल, 2011 एवं मई, 2011 का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को वितरित करने एवं जुन, 2011 से सितम्बर, 2011 तक खाद्यान्न हेतु राशि जमा नहीं करने की बात उन्होंने स्वीकार की है, जबकि अप्रैल एवं मई, 2011

खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

अपीलकर्ता के इस कृत्य से लक्षित वर्ग के उपभोक्ता छः माह तक अनुदानित खाद्यान्न से वंचित रहे हैं, जिसके लिए अपीलकर्ता (विक्रेता) दोषी हैं। उनका यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001/सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अपीलकर्ता का यह कथन कि उनके दुश्मनों द्वारा शिकायत की गयी, इसकी पुष्टि करता है कि उन्हें परिवाद पत्र एवं जांच प्रतिवेदन की पूर्ण जानकारी थी, अन्यथा उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने से पूर्व जांच प्रतिवेदन की प्रति की मांग की जानी चाहिए। अतः ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा बरती गयी अनियमितताए की प्रमाणिकता के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक सं 1050 (आ0) दिनांक 31.10.2011 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

2/6/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

2/6/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।